कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती शमीम, प्रधानाचार्य, श्री छगनराज चौपासनी वाला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोरी गेट जिला जोधपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौकरी कलां, जिला जोधपुर एवं श्रीमती प्रेमलता गहलोत, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौकरी कलां जिला जोधपुर को श्री छगनराज चौपासनी वाला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोरी गेट जिला जोधपुर में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्रीमती शमीम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15973/2019 शमीम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15973/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्रीमती शमीम के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी श्रीमती शमीम के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रीमती शमीम श्री छगनराज चौपासनी वाला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालोरी गेट जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगी एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित, श्रीमती प्रेमलता गहलोत, का अन्तरिम समायोजन **दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से** राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मण्डियाई खुर्द, तिंवरी जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। **उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/शमीम/15973/2019 दिनांकः 25.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)